न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्रीमती निर्मला देवी पत्नि श्री सुरेश कुमार टांक, जाति- टांक, निवासी- मण्डार, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

ग्राम पंचायत, सोरडा जरिये सरपंच, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 12/2016

"निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री कलमी अव्वल, अप्रार्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 24 मई, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निर्मला देवी पत्नि श्री सुरेश कुमार, जाति- टांक, निवासी- मण्डार की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, सोरडा द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने के संबंध में जारी नोटिस क्रमांकःग्रा.पं.सो./2016/77 दिनांक 13.6.2016 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी ग्राम पंचायत, सोरडा के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 28.6.2016 को ग्राम पंचायत, सोरडा के सरपंच ने उपस्थित होकर ग्राम पंचायत, सोरडा के पत्र दिनांक 28.6.2016 के द्वारा संबंधित रेकर्ड की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की। तत्पश्चात् प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल उपस्थित हुये, लेकिन प्रकरण में अप्रार्थी ग्राम पंचायत, सोरडा की ओर से जवाब प्रस्तुत नही करने पर अप्रार्थी ग्राम पंचायत, सोरडा का जवाब बन्द किया गया।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे का आवासीय भूखण्ड़ ग्राम सोरडा में आया हुआ है जिसके खसरा संख्या 436 है। उक्त खसरा संख्या 436 की रकबा 0.09 बीघा भूमि श्री पीराराम पुत्र मंजी जी मेघवाल, निवासी- मालीपुरा, तहसील- रेवदर के खातेदारी की कृषि भूमि थी। श्री पीराराम पुत्र मंजी जी मेघवाल, निवासी- मालीपुरा ने उक्त खातेदारी कृषि खसरा संख्या 436 रकबा 0.09 बीघा का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया। जिसका उपखण्ड़ अधिकारी, रेवदर द्वारा कृषि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश कमांक/रेवेन्यु/2009/520-23 दिनांक 27.7.2009 को जारी किया गया है। उक्त श्री पीराराम मेघवाल द्वारा खसरा सख्या 436 की 0.09 बीघा

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि का बेचान पंजीकृत दस्तावेज संख्या 751/2009 दिनांक 03.8.2009 के द्वारा प्रार्थी श्रीमती निर्मला देवी को किया जाकर मौके पर कब्जा सुपर्द किया व प्रार्थी श्रीमती निर्मला देवी ने कब्जा प्राप्त किया था। प्रार्थीया के स्वामित्व की उक्त आवासीय भूमि के पश्चिम दिशा में प्रार्थीया के पुत्र श्री विशालकुमार के कब्जे स्वामित्व का आवासीय भूखण्ड़ आया हुआ है, यह भूखण्ड़ श्रीमती धापु, जमना पिसरान अचलाजी गरोडा, निवासी- सोरडा के पुश्तैनी कब्जे भोगवटा का था जिसका श्रीमती धापु व जमना के पक्ष में ग्राम पंचायत, सोरडा द्वारा कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र क्रमांक: 1985/S-1 दिनांक 11.12.1985 को जारी किया गया है। श्रीमती धापु, जमना पिसरान अचलाजी गरोडा, निवासी- सोरडा ने अपने पुश्तैनी कब्जे भोगवटे के भूखण्ड़ का प्रार्थी के पुत्र विशालकुमार को जरिये ईकरारनामा दिनांक 21.3.1998 के द्वारा विक्रय कर कब्जा सुपर्द किया था तब से प्रार्थी का पुत्र विशाल कुमार इस भूखण्ड़ पर लगातार काबिज चला आ रहा है। प्रार्थीया निर्मला देवी ने प्रार्थीया के स्वामित्व की उक्त आवासीय भूमि रकबा 0.09 बीघा व प्रार्थीया के पुत्र विशाल कुमार के कब्जे स्वामित्व की भूमि पर पंचायत से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर चार दिवारी का निर्माण कार्य करवाया गया है व मौके पर चार दिवारी का निर्माण प्रश्नगत नोटिस जारी होने के 4 माह पूर्व ही चुका है तथा मौके पर प्रार्थीया व प्रार्थीया का पुत्र विशाल कुमार अपने अपने कब्जे स्वामित्व व मालकी की भूमि पर काबिज है। यह कि चार दिवारी का निर्माण कार्य पूरा होने के 4 माह बाद ग्राम पंचायत, सोरडा द्वारा प्रार्थीया के विरुद्ध अतिक्रमण बाबत जो नोटिस जारी किया गया है वह विधि सम्मत नही है। उक्त सम्पति पर प्रार्थीया व उसके पुत्र का कब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थी के पुत्र विशाल कुमार ने उक्त श्रीमती धापु व जमना के स्वामित्व व पुराने कब्जे भोगवटा की सम्पति को जरिये इकरार नामा दिनांक 21.3.1998 के द्वारा खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था व उसके बाद से लगातार उक्त भूमि पर प्रार्थी का पुत्र विशाल कुमार काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा इतने समय तक कभी कोई आपत्ति नही की गई तथा न ही प्रार्थीया व उसके पुत्र के कब्जे में कभी भी दखल की गई है, लेकिन उक्त कब्जे स्वामित्व व मालकी की भूमि पर चार दिवारी का निर्माण पूरा होने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण को हटाये जाने के संबंध में प्रार्थी के विरुद्ध जो नोटिस/आदेश जारी किया गया है वह प्रथम दृष्टया ही विधि विरुद्ध है। उक्त सम्पति प्रार्थीया के पुत्र विशाल व प्रार्थीया की वैध सम्पति है तथा निर्माण कार्य अप्रार्थी ग्राम पंचायत, सोरडा की जानकारी में वैध रुप से किया गया है। निर्माण कार्य पूरा होने में भी करीब 6 माह का समय लगा है इतनी लम्बी अवधि तक अप्रार्थी ग्राम पांयत सोरडा द्वारा निर्माण कार्य में कोई रुकावट पैदा नही की गई है व कार्य पूर्ण होने के बाद प्रार्थीया व प्रार्थी के पुत्र को क्षति कारित करने के दुर्भावनापूर्ण आशय से प्रश्नगत नोटिस जारी कर कब्जा हटाने हेतु आदेशित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी के पुत्र विशाल कुमार द्वारा खरीद किया गया भूखण्ड़ श्रीमती धापु व जमना के पुश्तैनी कब्जे भोगवटे का था जिस पर उनके पिता के समय से करीब 100 वर्षो पुराना कब्जा व मालिकाना हक अधिकार है, यह भूखण्ड़ पूर्व में उनके रहवास व बाडे के रुप में उपयोग आता

....पेज तीन पर

रहा है। उक्त श्रीमती धापु व जमना के पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व के भूखण्ड को विधि अनुसार प्रतिफल राशि अदा कर विशाल कुमार ने क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, उक्त तथ्य ग्राम पंचायत की जानकारी में होते हुए भी ग्राम पंचायत ने उक्त तथ्य को नजर अंदाज कर प्रश्नगत नोटिस जारी किया है। ग्राम पंचायत, सोरडा ने उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थी निर्माला देवी को नोटिस दिनांक 13.6.2016 जारी किया है, जबकि उक्त भूमि के वास्तविक कब्जेधारी क्रेता विशाल कुमार पुत्र सुरेश कुमार टांक को नोटिस जारी नही किया गया है। ग्राम पंचायत, सोरडा ने प्रार्थीया व उसके पुत्र को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही मौके से बेदखल करने की नियत से नोटिस जारी किया है जो नैसर्गिक न्यायालय के सिद्धान्त के विपरित है। प्रार्थीया के स्वामित्व व प्रार्थीया के पुत्र के स्वामित्व के भूखण्ड पर किये वैध निर्माण कार्य को हटाने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है, इसलिये प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, सोरडा द्वारा जारी नोटिस दिनांक 13.6.2016 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी ग्राम पंचायत, सोरडा के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, सोरडा द्वारा प्रार्थी श्रीमती निर्माला देवी को उसके द्वारा क्रय की गई आवासीय संपरिवर्तित भूमि रकबा 0.09 बीघा भूमि पर निर्माण की अनापत्ति दिनांक 04.2.2016 को जारी की गई थी, लेकिन उक्त निर्माण अनापत्ति/स्वीकृति की आड में प्रार्थीया द्वारा क्रय शुदा रकबा 0.09 बीघा आवासीय संपरिवर्तित भूमि से अधिक 15000 वर्गफीट भूमि पर चार दिवारी का निर्माण कार्य करवाने से ग्राम पंचायत सोरडा द्वारा प्रार्थी को दिनांक 22.2.2016 व 23.5.2016 को नोटिस जारी किये गये, लेकिन प्रार्थी ने ग्राम पंचायत, सोरडा में कोई जवाब या स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नही किये, केवल इकरारनामा ही प्रस्तुत किया। जिस पर ग्राम पंचायत, सोरडा ने दिनांक 13.6.2016 को प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने बाबत अंतिम नोटिस जारी किया गया है जो विधि सम्मत है। प्रार्थी द्वारा क्रय की गई उक्त आवासीय संपरिवर्तित रकबा 0.09 बीघा के अलावा की भूमि जो प्रार्थी के पुत्र द्वारा इकरारनामे से खरीद की जाना बताया जा रहा है, वह भूमि श्रीमती धापु व जमना पिसरान अचलाजी के पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व की नही रही है एवं न ही ग्राम पंचायत, सोरडा ने उक्त श्रीमती धापु व जमना को कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र दिनांक 11.12.1985 को जारी किया है। उक्त कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र पंचायत के किस प्रस्ताव के तहत जारी किया गया है, उस प्रस्ताव की प्रति प्रार्थी ने प्रस्तुत नही की है। श्रीमती धापु व जमना को पंचायत की भूमि बेचने का अधिकार नही है तथा न ही विशाल कुमार को श्रीमती धापु व जमना से पंचायत की भूमि क्रय करने का अधिकार है। उक्त भूमि के मालकी स्वामित्व का कोई ठोस दस्तावेज न तो श्रीमती धापु व जमना के पास है तथा न ही प्रार्थी या प्रार्थी के पुत्र के पास है। प्रार्थी या प्रार्थी के पुत्र विशाल कुमार को उक्त बेचान इकरार के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार पैदा नही होते है। विधि अनुसार बेचान दस्तावेज पंजीकृत होना आवश्यक है। अप्रार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि जब इकरारनामा प्रार्थी के पुत्र विशाल कुमार के नाम से है तो प्रार्थी को निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार ही पैदा नही होता है एवं न ही प्रार्थी निर्मलादेवी हितबद्ध पक्षकार है। अप्रार्थी के अधिवक्ता

.....पेज चार पर

का यह भी तर्क रहा कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नही है। ग्राम पंचायत, सोरडा द्वारा विशाल कुमार को उक्त 15000 वर्गफीट पर अवैध रुप से चार दिवारी का निर्माण करने के संबंध में दिनांक 22.2.2016 व 13.6.2016 को नोटिस जारी किये गये है, लेकिन उक्त भूमि के मालकी स्वामित्व का कोई ठोस दस्तावेज प्रार्थी या प्रार्थी के पुत्र ने ग्राम पंचायत में प्रस्तुत नही किया है। प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्र ने करीब 15000 वर्गफीट ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण किया है, इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। अत: प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी ग्राम पंचायत, सोरडा के अधिवक्ता के कथनों के जवाब में प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचयात, सोरडा द्वारा प्रार्थी के पुत्र विशाल को जो नोटिस दिनांक 13.6.2016 को जारी किया गया है, उसमें कब्जा हटाने या अतिक्रमण बाबत कोई उल्लेख नही है, इस नोटिस में विशाल कुमार का पट्टा बनाने हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 28.5.2016 को लम्बित रखने का उल्लेख किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब में यह भी व्यक्त किया कि विशाल कुमार का पट्टा बनवाने व विद्युत कनेक्शन हेतु एन.ओ.सी. का आवेदन लम्बित होते हुए भी विशाल कुमार का कब्जा हटाने हेतु प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया है जो विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत, सोरडा ने प्रार्थी के पुत्र विशाल कुमार को सुनवाई का किसी प्रकार का अवसर नही दिया है व न ही विशाल कुमार को कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया है, जबकि उक्त भूमि विशाल कुमार ने इकरारनामें से उक्त श्रीमती जमना व धापु से वर्ष 1998 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था व मौके पर विशाल कुमार काबिज है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब में यह भी व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, सोरडा ने विशाल कुमार की भूमि से कब्जा हटाने हेतु प्रार्थी को नोटिस जारी किया है, इस प्रकार, प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, सोरडा द्वारा प्रार्थी श्रीमती निर्मला देवी पत्नि श्री सुरेश टांक, निवासी- मण्डार को अतिक्रमण हटाने बाबत अंतिम नोटिस क्रमांक:ग्रा.पं.सो. /2016/77 दिनांक 13.6.2016 को इस आशय का जारी किया गया है कि श्रीमती निर्मला देवी पत्नि सुरेश कुमार, निवासी- मण्डार आपको ग्राम पंचायत, सोरडा द्वारा आपके कब्जे शुदा भूखण्ड (9 बिस्वा) पर निर्माण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। जिस पर आपके द्वारा 9 बिस्वा भूमि से अधिक लगभग 15000 वर्गफीट भूमि पर अतिरिक्त निर्माण कार्य किया गया है, जिस पर आपको पूर्व में भी दिनांक 22.2.2016 व 23.5.2016 को नोटिस जारी किये गये तथा इसके पश्चात् भी आपके द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार कोई जवाब पेश नही किया गया है तथा आपके द्वारा इस अतिरिक्त निर्माण का जो बेचान इकरारनामा पेश किया जा रहा वह भूमि के संबंध में पुख्ता दस्तावेज नही है, इसलिये आप दिनांक 16.6.2016 तक अतिक्रमण हटाकर पंचायत को सूचित करे, अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्तर पर इसको हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यत: कथन यह है कि ''प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे का आवासीय भूखण्ड़ ग्राम सोरडा में आया हुआ है जिसके खसरा संख्या 436 है। उक्त खसरा संख्या 436 की रकबा 0.09 बीघा भूमि श्री पीराराम पुत्र मंजी जी मेघवाल, निवासी- मालीपुरा, तहसील- रेवदर के खातेदारी की कृषि भूमि थी। श्री पीराराम पुत्र मंजी जी मेघवाल, निवासी- मालीपुरा ने उक्त खातेदारी कृषि खसरा संख्या 436 रकबा 0.09 बीघा का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया। जिसका उपखण्ड़ अधिकारी, रेवदर द्वारा कृषि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/रेवेन्यु/2009/520 दिनांक 27.7.2009 को जारी किया गया है। उक्त श्री पीराराम मेघवाल द्वारा खसरा सख्या 436 की 0.09 बीघा आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि का बेचान पंजीकृत दस्तावेज संख्या 751/2009 दिनांक 03.8.2009 के द्वारा प्रार्थी श्रीमती निर्मला देवी को किया जाकर मौके पर कब्जा सुपर्द किया व प्रार्थी श्रीमती निर्मला देवी ने कब्जा प्राप्त किया था। प्रार्थीया के स्वामित्व की उक्त आवासीय भूमि के पश्चिम दिशा में प्रार्थीया के पुत्र श्री विशालकुमार के कब्जे स्वामित्व का आवासीय भूखण्ड़ आया हुआ है, यह भूखण्ड़ श्रीमती धापु, जमना पिसरान अचलाजी गरोडा, निवासी- सोरडा के पुश्तैनी कब्जे भोगवटा का था जिसका श्रीमती धापु व जमना के पक्ष में ग्राम पंचायत, सोरडा द्वारा कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र क्रमांक: 1985/S-1 दिनांक 11.12.1985 को जारी किया गया है। श्रीमती धापु, जमना पिसरान अचलाजी गरोडा, निवासी- सोरडा ने अपने पुश्तैनी कब्जे भोगवटे के भूखण्ड़ का प्रार्थी के पुत्र विशालकुमार को जरिये ईकरारनामा दिनांक 21.3.1998 के द्वारा विक्रय कर कब्जा सुपर्द किया था तब से प्रार्थी का पुत्र विशाल कुमार इस भूखण्ड़ पर लगातार काबिज चला आ रहा है।'' प्रार्थी का यह भी कथन है कि ''ग्राम पंचायत, सोरडा ने उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थी निर्माला देवी को नोटिस दिनांक 13.6.2016 जारी किया है, जबकि उक्त भूमि के वास्तविक कब्जेधारी क्रेता विशाल कुमार पुत्र सुरेश कुमार टांक को नोटिस जारी नही किया गया है।''

पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित दस्तावेजों की फोटो प्रतियों के अवलोकन से यह पाया गया कि उपखण्ड़ अधिकारी, रेवदर के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक:रेवेन्यू/2009/520-23 दिनांक 27.7.2009 के द्वारा श्री पीराराम पुत्र मंजी जी मेघवाल, निवासी- मंजीपुरा के पक्ष में उसकी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सोरडा के खसरा संख्या 436 रकबा 0.09 बीघा का कृषि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है। श्री पीराराम पुत्र मंजी जी, जाति- मेघवाल, निवासी- मालीपुरा ने अपनी उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि खसरा संख्या 436 रकबा 0.09 बीघा का पंजीकृत द्रस्तावेज संख्या 451/2009 दिनांक 03.8.2009 (जो उप पंजीयन कार्यालय, मण्ड़ार से पंजीकृत है) के द्वारा विक्रय श्रीमती निर्माला देवी पत्नि श्री सुरेश कुमार टांक, निवासी- मण्डार को कर कब्जा सुपर्द किया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित उक्त खसरा संख्या 436 रकबा 0.09 बीघा भूमि प्रार्थी निर्मला देवी के कब्जे स्वामित्व की है। पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित दस्तावेजों की फोटो प्रति के अवलोकन से यह भी पाया गया कि धापु, जमना पिसरान अचला जी, जाति- गरोडा, निवासी- सोरडा द्वारा दिनांक 21.3.1998 को श्री विशाल कुमार पुत्र श्री

.....पेज छ: पर

सुरेश कुमार टांक, निवासी- मण्ड़ार के पक्ष में क्षेत्रफल 15000 वर्गफीट भूमि का बेचान इकरारनामा निष्पादित किया गया है, जो अपंजीकृत दस्तावेज है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत, सोरडा द्वारा श्रीमती निर्मला देवी पत्नि सुरेश कुमार टांक को उसके रजिस्ट्री शुदा भूखण्ड़ के संबंध में निर्माण कार्य व नल कनेक्शन हेतु दिनांक 04.2.2016 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, सोरडा द्वारा उक्त इकरारनामें से संबंधित भूमि पर निर्माण के संबंध में किसी प्रकार की कोई निर्माण स्वीकृति नही दी गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, सोरडा के पत्र क्रमांक:ग्रा.प.सो./2016/78 दिनांक 13.6.2016 के द्वारा श्री विशाल कुमार पुत्र सुरेश टांक, निवासी- मण्ड़ार को यह सूचित किया गया है कि श्री विशाल कुमार पुत्र सुरेश कुमार टांक आपके द्वारा दिनांक 28.5.16 को ग्राम पंचायत, सोरडा में पट्टा बनवाने हेतु आवेदन तथा घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया था जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा आपके पेश किये दस्तावेजों की जांच करने पर पाया गया कि संबंधित भूमि पर अवैध रुप से अतिक्रमण की कार्यवाही चल रही है, यह भूमि विवाद के कारण आपके द्वारा किये गये आवेदन पत्र को ग्राम पंचायत स्तर पर लम्बित रखा जाता है, जब तक इस भूमि संबंधी विवाद का निस्तारण नही हो जाता है तब तक इसके संबंध में आपको किसी प्रकार की स्वीकृति या एन.ओ.सी. नही दी जायेगी।

इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य भलीभांति स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, सोरडा द्वारा प्रार्थी निर्मला देवी को जिस भूमि के संबंध में अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया है, वह भूमि धापु, जमना, जाति- गरोडा, पिसरान- अचला जी, निवासी- सोरडा द्वारा श्री विशाल कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार टांक, निवासी- मण्ड़ार के पक्ष में निष्पादित उक्त बेचान इकरारनामा से संबंधित भूमि है, लेकिन ग्राम पंचायत, सोरडा ने श्री विशाल कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार टांक, निवासी- मण्डार को उक्त विवादित भूमि के संबंध में नोटिस जारी नही किया है एवं न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार किया प्रकरण ग्राम पंचायत, सोरडा को प्रार्थी श्रीमती निर्मला देवी पत्नि श्री सुरेश कुमार टांक, निवासी- मण्ड़ार एवं श्री विशाल कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार टांक, निवासी- मण्डार को सुनवाई का अवसर देने एवं विवादित भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत, सोरडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि श्रीमती निर्मला देवी पत्नि श्री सुरेश कुमार टांक, निवासी- मण्डार एवं श्री विशाल कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार टांक, निवासी- मण्डार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विवादित भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही करे।

24.05.18

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही